

|                                                                                  |                                                                                                           |                   |                |                |                                                  |                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर                                                     |                                                                                                           |                   |                |                |                                                  |                         |          |
| आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2021-2022 (कर निर्धारण वर्ष 2022-2023) New Scheme |                                                                                                           |                   |                |                |                                                  |                         |          |
| 1                                                                                | नाम कर्मचारी :                                                                                            |                   |                |                | कर्मचारी सं. ....                                |                         |          |
|                                                                                  | पद                                                                                                        |                   |                |                | जन्म तिथि : .....                                |                         |          |
|                                                                                  | पैन न. (यदि प्रथम बार JDA में दिया जा रहा है तो प्रति भी दे ) :                                           |                   |                |                | मोबाइल न. ....                                   |                         |          |
| 2                                                                                | आय: वर्ष-2021-2022 में प्राप्त कुल वेतन                                                                   |                   |                |                | रु. ....                                         |                         |          |
| 3                                                                                | अन्य आय .....                                                                                             |                   |                |                | रु. ....                                         |                         |          |
| 4                                                                                | सकल आय .....                                                                                              |                   |                |                | रु. ....                                         |                         |          |
| 5                                                                                | घटाइये कटौतियाँ :-पेंशन योजना में अंशदान (धारा 80CCD2) GCPF(Not Exceeding 10% of Salary of Previous Year) |                   |                |                | रु. ....                                         |                         |          |
| 6                                                                                | कुल कटौती 6 का योग                                                                                        |                   |                |                | रु. ....                                         |                         |          |
| 7                                                                                | कर योग्य आय (4-6)                                                                                         |                   |                |                | रु. ....                                         |                         |          |
| 8                                                                                | आयकर की गणना                                                                                              |                   |                |                |                                                  |                         |          |
|                                                                                  | एक व्यक्ति करदाता                                                                                         |                   |                |                |                                                  |                         |          |
|                                                                                  | 2,50,000 रु. तक                                                                                           |                   |                |                | शून्य                                            |                         |          |
|                                                                                  | 2,50,001 से 5,00,000 तक                                                                                   |                   |                |                | 5%                                               |                         |          |
|                                                                                  | 5,00,001 से 7,50,000 तक                                                                                   |                   |                |                | 10%                                              |                         |          |
|                                                                                  | 7,50,001 से 10,00,000 तक                                                                                  |                   |                |                | 15%                                              |                         |          |
|                                                                                  | 10,00,001 से 12,50,000 तक                                                                                 |                   |                |                | 20%                                              |                         |          |
|                                                                                  | 12,50,001 से 15,00,000 तक                                                                                 |                   |                |                | 25%                                              |                         |          |
|                                                                                  | 15,00,001 एवं अधिक                                                                                        |                   |                |                | 30%                                              |                         |          |
| (i)                                                                              | कुल आयकर                                                                                                  |                   |                |                |                                                  |                         |          |
| (ii)                                                                             | घटायें : कर योग्य आय (7) 5 लाख तक होने पर कर छुट 12500/-तक धारा 87A                                       |                   |                |                |                                                  |                         |          |
| (iii)                                                                            | कुल आयकर(i-ii)                                                                                            |                   |                |                |                                                  |                         |          |
| (iv)                                                                             | उपकर 4% (आयकर पर)                                                                                         |                   |                |                |                                                  |                         |          |
| (v)                                                                              | कुल आयकर (उपकर सहित) (iii+iv)                                                                             |                   |                |                |                                                  |                         |          |
| 10                                                                               | स्रोत पर आयकर कटौती का विवरण                                                                              |                   |                |                | (प्रतिनियुक्त कर्मचारी हेतु) (JDA कर्मचारी हेतु) |                         |          |
|                                                                                  | नवम्बर 2021 तक                                                                                            | दिसम्बर, 2021 में | जनवरी 2022 में | फरवरी 2022 में | मार्च 2022 में                                   | टी.डी. एस. (कुल)2021-22 | योग      |
|                                                                                  | रु. ....                                                                                                  | रु. ....          | रु. ....       | रु. ....       | रु. ....                                         | रु. ....                | रु. .... |
|                                                                                  | हस्ताक्षर .....                                                                                           |                   |                |                | आयकर देय/वापसी योग्य शेष- /रु. ....              |                         |          |